सिरोही (राजन)

31-5-2024 प्रार्थिनी के वकील उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कोई
उपस्थित। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए
आदेश अपील पेश करने हेतु हुये विलम्ब को
अवधि के अन्दर माफ किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री
पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड रूम हो तथा
मूल अपील पत्रावली के लोअर कोर्ट को भेजी जावे।

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Pal
Saini
Date: 2024.06.05 14:50:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner